संख्या: 32 /2026/217/तीस-1-2026

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उ0प्र0 लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 26 मार्च, 2026

विषय: जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-170 बी/डीए/पूर्व/26-09जेईटी/12-13, दिनांक 13.02.2026 एवं पत्र संख्या-298बी/डीए/पूर्व/26-09जेईटी/वि0/12-13, दिनांक 18.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-7/1221/तीस-1-2014-5(47)/2013, दिनांक 17.12.2014 द्वारा आंकलित लागत रू0 1331.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 532.576 लाख, शासनादेश संख्या-41/2015/1439/तीस-1-2015-5(47)/2013, दिनांक 30.11.2015 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 532.576 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त पश्चात मा0 मंत्रि परिषद के आदेश से शासनादेश संख्या-24/2016/345/तीस-1-2016-5(47)/2013, दिनांक 07.04.2026 द्वारा प्रारम्भिक लागत/आगणन में सम्मिलित रू0 10.46 लाख की लागत के उच्च विशिष्टियों के कार्यो को कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनरीक्षित आगणन प्राप्त होने पर शासनादेश संख्या-51/2016/810/तीस-1-2026-5(47)/2013, दिनांक 20.12.2016 द्वारा मा0 मंत्रि परिषद के आदेश से जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की गतिशील प्रक्रिया में रू0 56.88 लाख की पुनरीक्षित लागत पर भवन के बाहर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-3/2017/233/तीस-1-2017-5(47)/2013, दिनांक 28.03.2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 209.653 लाख एवं शासनादेश संख्या-1/2018/1506/तीस-1-2017-5(47)/2013, दिनांक 16.02.2018 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1619.56 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 263.77 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल धनराशि रू0 1538.582 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कुल अनुमोदित पुनरीक्षित स्वीकृति लागत के विरूद्ध निविदा लागत (समदर पर) के अनुसार आंकलित धनराशि रू0 1619.56 लाख में से कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1538.582 लाख को घटाते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु पंचम एवं अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 80.978 लाख (रूपये अस्सी लाख सत्तानवे हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023, कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।

(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) प्रश्नगत कार्य के निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।

(12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 043-परिवहन विभाग के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या E-9-512-X-2025-26- दिनांक: 26-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 32 /2026/217(1)/तीस-1-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण लि0, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in